न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग

प्रकरण संख्या 90/2008,(जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2017/00131) पीठासीन अधिकारी:-श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. रामदुलारी वेवा श्री लक्ष्मण प्रसाद
2. नरेश कुमार
3. दिनेश कुमार
4. महेश कुमार
5. राजेश कुमार
6. उमेश कुमार
7. बृजेश कुमार

(2 से 7) पिस0 स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद जातियान जाटव नि0 मसानी मौहल्ला कस्बा डीग तह0डीग

-वादीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र शिवलाल उर्फ श्यामलाल जाति जाटव निवासी मसानी मौहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग
2. राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 व 53 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय **दिनांक: 10.05.2025**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 934/1.18 हैक्टे0 वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित है। प्रति0 संख्या 2 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। शिवलाल उर्फ श्यामलाल वादिया नम्बर 1 का ससुर व वादी नम्बर 2 लगायत 7 का बाबा था जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा वादिया नम्बर 1 का पति व वादी नम्बर 2 लगायत 7 का पिता भी फौत हो चुका है। जिनके वारिसान वादीगण नम्बर 1 लगायत 7 ही है अन्य कोई वारिस नहीं है वादीगण आराजी मुत0 वर्णित मद नम्बर 2 अर्जी वाया के 1/2 हिस्से के व प्रति0 संख्या 1/2 हिस्से के खातेदार है तथा इसी प्रकार काबिज रहकर व हिस्सा बरावर काश्त कर रहे है। मगर राजस्व रिकार्ड में खिलाफ मौका व कब्जा मृतक शिवलाल का ही नाम दर्ज होता चला आ रहा है। आराजी मुत0 के हि0 1/2 पर खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा मृतक शिवलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी नम्बर 1 लगायत 7 को 1/2 हि0 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी का विधिवत वंटवारा नहीं हुआ है तथा पक्षकारान के मध्य आपस में बनती नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 934/1.18 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम में 1/2 हि0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा जो इन्द्राज बनाम मृतक शिवलाल उर्फ श्यामलाल हो रहा है को कलमजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावे व 1/2 हिस्से का प्रति0 संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा आराजी मुत0 के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरे कराये जाकर पृथक पृथक खाता कायम किये जाने व प्रति0 संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.06.2008 को प्रति0 संख्या 1 की ओर से मय वकालतनामा श्री हरीकृष्ण शर्मा एड0उपस्थित आये। दिनांक 02.07.2009 को प्रति0 संख्या 02 के जबाव पेश करने से इन्कार करने पर इनका जबाव बंद किया गया। दिनांक 17.09.2014 को पीडब्ल्यू-1नरेश की साक्ष्य कराई गई। दिनांक 28.03.2016 को दावे को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार डीग से विभाजन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./2024/1285 दिनांक 30.05.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। दिनांक 07.04.2025 को बहस वकील पक्षकार सुनी गई।

तहसीलदार डीग से दिनांक 30.05.2024 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण ने मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावे को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतः तहसीलदार डीग से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.05.2024 के आधार पर हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

<u>तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव निम्नांनुसार हैः-</u>

<u>कुरा प्रस्ताव संख्याः-1,</u> रामखिलाडी पुत्र शिवलाल जाति जाटव निवासी कस्बा डीग,

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
542	934/1	0.59
कुल किता-1 कुल रकबा 0.59		

<u>कुरा प्रस्ताव संख्याः-2,</u>

रामदुलारी पत्नी लक्ष्मण,नरेश,दिनेश,महेश,राजेश,उमेश,बृजेश पुत्रगण लक्ष्मन जाति जाटव निवासी कस्बा डीग तहसील डीग,

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
542	934/2	0.59
कुल किता-1 कुल रकबा 0.59		

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व कुरा प्रस्ताव के अवलोकन किये जाने के उपरांत हम दावा वादीगण को कुरा प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाकर काबिले डिक्री किये जाने योग्य समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

अतः आदेश है कि :-

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। **कुरा प्रस्ताव 01 लगायत 02 में वर्णित आराजी (वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग) खसरा नम्बरान अनुसार वादीगण व प्रति0 को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन **सहायक कलक्टर,**
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन **सहायक कलक्टर,**
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)